मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

42–(08)–09–2021

पटना में दिनांक–02 फरवरी, 2021 मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	गृह विभाग (आरक्षी शाखा)		
1.	गृह विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार पुलिस रेडियो संगठन में राजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस दूरसंचार (वितंतु) एवं तकनीकी सेवा नियमावली, 2021 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।	**1.**	**स्वीकृत।**
	गन्ना उद्योग विभाग		
2.	राज्य के चीनी उद्योगों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में पेराई सत्र 2019–20 में क्रय किये गए गन्ने पर भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन के दर को ईख मूल्य के दर का 1. 80% से घटाकर 0.20% के रूप में पुनर्निधारण करने की स्वीकृति के संबंध में।	**2.**	**स्वीकृत।**
	पंचायती राज विभाग		
3.	ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को नगर निकायों में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशिष्ट ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 3000 या उससे अधिक रहने पर उन्हें यथावत रखने एवं 3000 से कम रहने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों में सम्मिलित कर उनके पुनर्गठन तथा नामकरण के संबंध में।	**3.**	**स्वीकृत।**
	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग		
4.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, किशनगंज के लिए 208 अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	**4.**	**स्वीकृत।**

लघु जल संसाधन विभाग

5.	बिहार जल विकास निगम लि० पटना की अवधि में नियमित स्थापना/कार्यभारित स्थापना/दैनिक वेतन भोगी जिन्हें निगम या बाद की अवधि में नियमित स्थापना में समायोजित किया गया, को निगम अवधि में कार्यरत रहने की सेवा अवधि की गणना ए०सी०पी० लाभ के अनुमान्यता के प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	**5.**	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

7.	डा०(श्रीमती) ज्योति सुल्तानियाँ, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया, बेगूसराय को दिनांक 30. 10.2013 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।	**7.**	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

8.	डा० मो० मोशब्बिर हयात असकरी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, शेखपुरा को दिनांक 02.09.2012 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।	**8.**	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

9.	डा० रामचन्द्र प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गेरूआ पुरसण्डा, हलसी, लखीसराय को दिनांक 05.02.2015 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।	**9.**	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

10.	डा० इन्दु ज्योति, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोहतास को फरवरी 2003 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।	**10.**	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

11.	डा०(श्रीमती) संगीता पंकज, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, फुलवरिया, गोपालगंज को दिनांक 14.08.2003 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।	**11.**	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

12.	डा० सुनील कुमार पाठक, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय को वर्ष 2002 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।	**12.**	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

13.	विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं (भाग–2) के अनुमोदन के संबंध में।	**13.**	**स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

15.	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 33,666 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 34,00,00,000/– रूपये (चौतीस करोड़ रूपये) मात्र अग्रिम की स्वीकृति एवं व्यय के संबंध में।	**15.**	**स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

17.	बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी भर्त्ती/चयन प्रक्रिया हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन के संबंध में।	**17.**	**स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

18.	राज्य के प्रमुख 27 विभागों को विभागीय आँकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण संबंधी कार्यों में सहयोग करने हेतु बिहार सांख्यिकी सेवा के सहायक निदेशक (सांख्यिकी) एवं बिहार अवर सांख्यिकी सेवा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी (अराजपत्रित) के एक–एक पद के सृजन के संबंध में।	**18.**	**स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

19.	बिहार राज्य के 41 विभागों में बजट तैयार करने, योजनाओं का सूत्रण, योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु योजना एवं विकास विभाग, मुख्यालय, पटना में सहायक निदेशक के 41 पदों एवं योजना सहायक के 41 पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में।	**19.**	**स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

20.	सुशासन के कार्यक्रम 2020–2025 के तहत मुख्यमंत्री कन्या (उत्थान) योजना अन्तर्गत उच्चत्तर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 से इन्टर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित कन्याओं को रू० 25,000/–एवं स्नातक/समकक्ष उत्तीर्ण होने पर रू० 50,000/–की आर्थिक सहायता की स्वीकृति के संबंध में।	**20.**	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

21.	राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्मित सभी पार्कों का अनुरक्षण एवं विकास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कराये जाने के संबंध में।	**21.**	**स्वीकृत।**